

THE RAJASTHAN SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD
(A Government of Rajasthan Undertaking)

संविदा पर (आउट सोर्स) कर्मी उपलब्ध कराने हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिष्ठित
एवं पंजीकृत एजेन्सियों से द्वि-प्रकर्मी मोहर बन्द खुली-निविदाएं (दर संविदा) आमंत्रित की
जाती है।

Tender Document Cost: Rs 500/- (including GST) (Non refundable)
(In favour of "The Rajasthan Small Industries Corporation Ltd.)

Earnest Money to be Deposited: Rs.18,000 (Refundable)
(In favour of "The Rajasthan Small Industries Corporation Ltd.")

S.No.	Schedule	Date	Time
1.	Publishing Date	21-10-2022	3.00 PM
2.	Document Download Start Date	21-10-2022	3.00 PM
3.	Bid Submission Start Date	21-10-2022	3.00 PM
4.	Bid Submission End Date	04-11-2022	3.00 PM
5.	Technical Bid Opening Date	04-11-2022	4.00 PM

Head Office

UdyogBhawan, TilakMarg

Jaipur 302 005

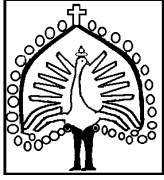
Tel: 0141-2227267

Fax: 0141-5115766

Website: www.industries.rajasthan.gov.in

Email: rajsico@rajasthan.gov.in

CIN.U91110RJ1961SGC001118



THE RAJASTHAN SMALL INDUSTRIES CORPORATION LTD.

Udyog Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005

Phone: 0141-2227267 * Fax 0141-2227257

Website: industries.rajasthan.gov.in/rajsco

* e-mail: rajsico@rajasthan.gov.in

CIN:- U91110RJ1961SGC001118

खुली –निविदा सूचना

Tender No: 22/2022-23

निगम की ईकाई राजस्थली कोलकता में संविदा पर (आउट सोर्स) कर्मी उपलब्ध कराने हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिष्ठित/पंजीकृत एजेन्सियों से द्वि-प्रकर्मी मोहर बन्द खुली-निविदाए दिनांक 04.11.2022 सांय 3 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र निगम की वेबसाईट/sppp.rajasthan.gov.in के माध्यम से भी डाउनलोड किये जा सकते है। अन्य विवरण एवं जानकारी निगम की Website: industries.rajasthan.gov.in/rajsico एवं sppp.rajasthan.gov.in पर प्राप्त कर सकते है।

विशेषाधिकारी(पी0 एण्ड ए0)

दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०,जयपुर

भाग—(अ)तकनीकी निविदा

दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०,जयपुर की इकाई राजस्थली कोलकता में सुपरवाइजर/ कुशल/अकुशल/ अर्द्धकुशल/उच्च कुशल कार्मिक, विक्रय सहायक,कम्प्यूटर आपरेटर,कार्यालय सहायक,सुरक्षा प्रहरी,पैकर,एवं गनमैन इत्यादि की सेवाए उपलब्ध कराने हेतु बोलीदाता की योग्यताएँ एवं सामान्य शर्तः—

(A)

क्रसं	तकनीकी योग्यताएँ	वांछित प्रपत्र
1	कम्पनी/फर्म का नाम,पता,रजिस्ट्रेशन नं.दूरभाष नम्बर	रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित कर संलग्न करना है।
2	बोलीदाता को किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी/निगम बोर्ड/प्राधिकरण में कार्मिकों की सेवाएँ उपलब्ध कराने का गत 3 वर्षों का अनुभव आवश्यक है।	अनुभव प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न की जानी है।
3	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यक संस्थान अधिनियम ,1958/प.बंगाल राज्य में लागू अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र	स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जानी है।
4	श्रम विभाग द्वारा जारी Contract Labour Licence होना आवश्यक है	श्रम विभाग द्वारा जारी Contract Labour Licence स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जानी है।
5	बोली अमानत राशि रु.18,000/— जमा का विवरण।(अनुमानित लागत का 2%)	विवरण संलग्न किया जाना है।छूट चाहने हेतु नियमानुसार प्रमाण-पत्र एवं अमानत राशि जमा करावें।
6	संलग्न Annexure A.B.C.& Dके अनुसार घोषणा पत्र	हस्ताक्षरित संलग्न किया जाना है।
7	बोलीदाता फर्म को ई.एस.आई.एवं पी.एफ.विभाग में पंजीकृत होना चाहिए	ESIएवं PF विभाग में पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जानी है।
8	बोलीदाता को गत 3 वित्तीय वर्षों 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 का औसत न्यूनतम टर्न 50 लाख होना चाहिए	टर्नओवर के सम्बन्ध में चार्टर्ड अकाउटेण्ट का प्रमाण पत्र अथवा चार्टर्ड अकाउटेण्ट द्वारा प्रमाणित बैलेन्स शीट की छायाप्रति संलग्न की जानी है।
9	बोलीदाता के पास स्वयं का अथवा फर्म का पेन नम्बर होना आवश्यक है।	पेन कार्ड की स्व-प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जानी है।
10	बोलीदाता फर्म को किसी राजकीय विभाग/संस्था/बोर्ड/ कॉरपोरेशन से ब्लेक-लिस्टेड, PF,GST,ESI अथवा अन्य वैधानिक भुगतान में डिफाल्टर अथवा बोलीदाता पर कोई अपराधिक मामला दर्ज नहीं होना चाहिए।	बोलीदाता को इस संबंध में रुपये 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना है।
11	बोलीदाता Joint Ventures or Consortiums नहीं होने चाहिए	कम्पनी/फर्म के लेटर हैड पर इस बाबत स्वघोषणा प्रस्तुत की जानी है।
12	बोलीदाता का जी.एस.टी.रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है	बोलीदाता को जी.एस.टी.रजिस्ट्रेशन की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।

(B) बोलीदाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगा:-

क्रसं	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	राज्य में लागू श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम				
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4	वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.)				
5	आयकर (पैन नम्बर)				
6	राज्य में लागू दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1958 के अन्तर्गत				
7	प.बंगाल राज्य में लागू अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन (आवेदक फर्म के कोलकता से होने पर)				

नोट:-तकनीकी योग्यताओं को पूर्ण करने वाले बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियाँ ही खोली जावेगी। तकनीकी योग्यताओं में योग्य नहीं पाये जाने वाले बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियाँ नहीं खोली जावेगी।

मैं.....पुत्र श्री.....सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त अंकित/सलग्न विवरण सत्य है तथा निविदा प्रपत्र की सभी शर्त स्वीकार है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
फर्म का नाम व पता.....
.....
दुरभाष एवं मो.नं.....

शपथ—पत्र

मैंने निविदा पत्र के साथ संलग्न सामान्य एवं विशेष शर्तों का अध्ययन कर लिया है। मैंने डाफ्ट/बैंकर्स चैक संख्या-----दिनांक-----के द्वारा रू0-----अमानत राशि के रूप में निविदा के लिये जमा करा दी है, जो अपलोड है। उपरोक्त किसी भी दस्तावेज के अभाव में मेरा टेण्डर निरस्त किया जा सकता है। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

निविदादाता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि

के हस्ताक्षर मय रबर सील के

दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०, जयपुर
खुली निविदा प्रस्तुतिकरण के लिये बिडर्स हेतु सामान्य/विशेष निर्देश एवं शर्त:-

आवश्यक निर्देश—उपापन से सम्बन्धित नियम “राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012” (जहां अधिनियम की बात हो) और राज लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 (जहां नियम की बात हो) उक्त अधिनियम के अन्तर्गत लागू हुए हैं। जो राज्य लोक उपापन पोर्टल <http://sppp.raj.nic.in> पर उपलब्ध है। अतः बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि बोली प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व उक्त अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों को समझ लें। यदि अधिनियम और नियमों के प्रावधानों तथा इस निविदा प्रपत्र के मध्य कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो उक्त अधिनियम एवं नियमों के प्रावधान प्रभावी होंगे।

- 1— निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा प्रपत्र के तकनीकी भाग “अ” के साथ रु० 18,000/- अठारह हजार मात्र रुपये (अनुमानित राशि का 2 प्रतिशत) अमानत राशि (अरनेस्ट मनी) बैंकर्स चैक/ ड्राफ्ट दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०, जयपुर के नाम करनी होगी। जिसके जमा अभाव में निविदा प्रपत्र को निरस्त माना जावेगा। सफल निविदादाता की अमानत राशि को धरोहर राशि के पेटे समायोजित कर दी जावेगी।
- 2— इच्छुक एवं पात्र निविदादाता निविदा प्रपत्र एवं शर्तें निगम के वेबसाइट अथवा [sppp. portal](http://sppp.portal) से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उक्त निविदादाता आवेदन-शुल्क का बैंकर्स चैक/ ड्राफ्ट रु० 500/- दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि०, जयपुर के नाम संलग्न करना होगा।
- 3— सफल निविदादाता द्वारा निगम में कुल रु० 45,000/- की कार्यसम्पादन प्रतिभूति राशि जिसमें पूर्व में जमा धरोहर राशि समायोजित कर ली जावेगी (अनुमानित राशि का 5 प्रतिशत) पे-आर्डर/ ड्राफ्ट/ बैंक गारन्टी तुरन्त जमा कराते हुए अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षरित कर कार्य प्रारम्भ करना होगा। निगम द्वारा कार्यसम्पादन प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- 4— अमानत राशि एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में छूट हेतु निविदादाता को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र नियमानुसार संलग्न करते हुये देय राशि का डी०डी/ बैंकर्स चैक तकनीकी बिड के समय प्रस्तुत करना होगा।
- 5— अनुबन्धित अवधि के सफलतापूर्वक समाप्ति के पश्चात निम्न शर्तें पूरी हो जाने के उपरान्त निगम द्वारा धरोहर राशि चैक द्वारा लौटाई जावेगी:-
 - (अ) सफल निविदादाता का ठेका समाप्ति उपरान्त एक इण्डेमनिटी बाण्ड दस रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर करने पर।
 - (ब) सभी सम्बन्धित शाखाओं/ इकाईयों से बकाया नहीं प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर
 - (स) श्रमिक अधिनियमों के अन्तर्गत भविष्य निधि, राज्य कर्मचारी बीमा निगम एवं जी०एस०टी में जमा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर।
 - (द) कान्ट्रैक्ट लेबर अबोलिशन एक्ट के अधीन श्रमिकों के उपस्थिति, वेतन भुगतान भविष्य निधि योजना व जमा राशि इत्यादि की औपचारिकतायें पूरी किये जाने के संबंध में निर्धारित प्रपत्रों, पंजिकाओं एवं प्रमाण पत्रों की प्रतियाँ प्रस्तुत करने पर।
 - (य) सभी वैधानिक आवश्यकतायें मय आयकर/ जीएसटी व अन्य टैक्स जमा कराने सम्बन्धी दस्तावेज की प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी।
- 6— मैनपावर तकनीकी कर्मकार को देय भुगतान में से केवल कर्मकार के पी.एफ./ ई.एस.आई. अंशदान की कटौती करनी होगी जिसकी जमा करवाने की एवं शेष समस्त जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी।
- 7— निविदा अवधि में पी.एफ., ई.एस.आई., जी०एस०टी एवं अन्य वैधानिक दायित्व भुगतान की पिछले माह के चालान भुगतान की प्रति अगले बिल के साथ प्रस्तुत करने पर ही बिल भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
- 8— निविदा प्रपत्र के तकनीकी भाग “अ” में कार्य सम्बन्धी समस्त विवरण व शर्तों का विवरण दिया गया है। निविदादाता को इनके प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर अंकित करके चाहे गये समस्त दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित फोटो प्रति तथा अमानत राशि का ड्राफ्ट निगम कार्यालय में जमा कराने होंगे।

निविदादाता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि
के हस्ताक्षर मय रबर सील के

- 9— भविष्य निधि व ई.एस.आई. का रजिस्ट्रेशन/कोड नम्बर होना अनिवार्य है। इनके दस्तावेजों की स्वसत्यापित फोटो प्रति निविदा प्रपत्र तकनीकी भाग“अ” के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें। इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। प्राप्त मूलदस्तावेजों की जाँच वेरीफिकेशन कमेटी सदस्यों द्वारा किया जा सकता है।
- 10— निविदा प्रपत्र के वित्तीय बोली भाग“ब” में कार्मियों की मासिक मजदूरी, ई0एस0आई, पी0एफ0, जी0एस0टी व सेवा शुल्क निविदादाता द्वारा भरी जानी है।
- 11— निविदादाता द्वारा सम्बन्धित तकनीकी व्यक्ति/श्रमिक कार्य के लिए प्रस्तुत की जाने वाली निविदा प्रपत्र के तकनीकी भाग“अ” में चाही गई वांछित सूचनाएँ एवं दस्तावेजों व निर्धारित ई.एम.डी. (अमानत राशि) जमा होने के आधार पर योग्य पाये जाने वाले निविदादाताओं की निविदाओं के सम्बन्धित वित्तीय बोली भाग“ब” को खोला जावेगा।
- 12— निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा पत्र के तकनीकी भाग“अ” में किसी भी अपूर्ण सूचना अथवा सम्बन्धित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति या ई.एम.डी.(अमानत राशि) के अभाव में अयोग्य घोषित किये जाने पर उनके द्वारा प्रस्तुत निविदा प्रपत्र के वित्तीय भाग “ब” पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 13— निविदा प्रपत्र के वित्तीय भाग“ब” में सम्बन्धित तकनीकी व्यक्ति/श्रमिक कार्य हेतु निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरों का उल्लेख अंको एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक होगा। किसी संशय की स्थिति में शब्दों में लिखी राशि को ही मान्य किया जावेगा। कांट/छांट एवं लिखकर कटिंग की गई बिड स्वीकार नहीं की जावेगी।
- 14— निविदा पर निर्णय लिये जाने से पूर्व निगम प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाली फर्म द्वारा प्रस्तुत दर उचित और अपेक्षित गुणवत्ता के प्रति सुसंगत है अथवा नहीं तदनुसार उस पर उपापन समिति की अनुशंसा पर उपापन अधिकारी निर्णय लिये जाने हेतु स्वतंत्र होगा।
- 15— निविदादाता को किसी प्रकार की शर्त जोड़ने एवं हटाने का अधिकार नहीं होगा।
- 16— निविदादाता को निविदा पत्र के समस्त पृष्ठों पर रबर सील के हस्ताक्षर अंकित करना आवश्यक होगा।
- 17— किसी भी निविदा प्रपत्र को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक महोदयों में निहित रहेगा।
- 18— कार्य आदेश देने के 15 दिवस के अन्दर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर सफल निविदादाता द्वारा कार्य प्रारम्भ करना होगा। जिसके अभाव में कार्य आदेश निरस्त कर अमानत राशि जब्त करली जावेगी।

निविदादाता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि

के हस्ताक्षर मय रबर सील के

- 19— किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायाधिकरण क्षेत्र जयपुर मान्य होगा।
- 20— निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्रस्तुत निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 21— निविदायें प्रार्थना पत्र में अपना पूरा स्थायी पता व पत्र व्यवहार करने का पता टेलीफोन नम्बर इत्यादि बिना किसी अपलेखन(OVER WRITING)के प्रविष्टियाँ पूर्ण कर प्रत्येक पृष्ठ पर इस आशय के साथ कि मैंने प्रत्येक शर्त को पढ़ लिया है व समझ लिया है अपने हस्ताक्षर करना होगा। निविदादाता को अपना ई-मेल पता देना होगा ई-मेल पर भेजे गये पत्र को प्राप्त हुआ माना जावेगा।
- 22— निविदादाता नाबालिक, दिवालिया व किसी सरकारी अथवा संस्थान विभाग द्वारा दोषी करार व्यक्ति नहीं होना चाहिए। यदि निविदा अवधि में भी ऐसा पाया गया तो निविदा निरस्त करते हुये धरोहर राशि जब्त कर अनुबन्ध अवधि समाप्त करदी जावेगी।
- 23— यदि कोई निविदादाता द्वारा कोई तथ्य छुपाया जाता है जो कि अनुबन्ध अवधि में प्रकाश में आता है तो ठेका निरस्त कर धरोहर राशि एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
- 24— सफल निविदादाता को श्रम विभाग के लाईसेन्स में निर्धारित श्रमिकों की संख्या जो निगम में उपलब्ध करवाई जायेगी का इंद्राज करवाना आवश्यक होगा।
- 25— अनुबन्ध अवधि ठेका प्रदान करने के दिन से केवल एक वर्ष की होगी जिसकी गणना अनुबन्ध में वर्णित समस्त शर्तों को नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक अनुबन्ध हस्ताक्षरित किये जाने के उपरान्त कार्य आंवटन दिनांक से की जावेगी। नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर की कीमत राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र में निम्न प्रावधान के अनुसार होगी।
- 26— खुली-निविदा निर्धारित तिथि व समय पर राजसिको,जयपुर के कार्यालय में खोली जावेगी व उस समय निविदादाता स्वयं या उसका अधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थित रहने हेतु इजाजत होगी।
- 27— निविदादाताओं द्वारा खुली निविदा का वित्तीय भाग(BOQ)में (OFF-LINE)प्रेषित की गई मजदूरी की दरें निगम के पास विचार कर नियमानुसार स्वीकार करने के लिए निविदा खुलने की तिथि से 90 दिवस तक खुला रखना होगा।
- 28— सफल निविदादाता द्वारा निगम की आवश्यकतानुसार किसी भी शिफ्ट/समय व स्थान के लिए कामगार उपलब्ध कराने होंगे।
- 29— सफल निविदादाता को संविदा कार्मिकों को प्रत्येकमाह 10 तारीख तक उनके बैंकखाते में पारिश्रमिक का भुगतान आवश्यक रूप से करना होगा चाहे निगम से औपचारिकताएं पूर्ण करने की वजह से भुगतान विलम्ब हो गया हो। यदि अनुबंधित फर्म इसकी पालना करने में असफल रहती है तो प्रति कार्मिक प्रति दिवस रु 100/- की शास्ती वसूली की जावेगी जो उसके बिल में से कटौती होगी यह शास्ति फर्म पर लगेगी।

निविदादाता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि

के हस्ताक्षर मय रबर सील के

- 30— इकाई प्रभारी द्वारा दी गई अल्पकालीन सूचना के आधार पर सूचना प्राप्त होने के तुरन्त पश्चात वांछित संख्या में निर्धारित योग्यता एवं कार्य में दक्ष मैनपावर कर्मकार उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित सफल निविदादाता का होगा। यदि सफल निविदादाता ने इसकी अनुपालना नहीं की गई तो उसके हर्जे व खर्चे पर अन्य स्थान से जिस दर पर मैनपावर कर्मकार मिलेंगे लाकर कार्य पूरा कराने का प्रयास किया जायेगा उसका सम्पूर्ण व्यय शास्ति @100/—प्रति कर्मकार प्रतिदिन सहित अनुबन्धित सफल निविदादाता के बिलों से काटा जायेगा इसके अतिरिक्त नियोजक निगम द्वारा सफल निविदादाता को आंवटित ठेका निरस्त करने का अधिकारी भी होगा।
- 31— यदि सफल निविदादाता अनुबन्ध अवधि के बीच में कार्य छोड़ता है तो निगम को अनुबन्धकर्ता का अनुबन्ध निरस्त करने धरोहर एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जब्त करने व फर्म को प्रतिबन्धित करने का अधिकार होगा।
- 32— सफल निविदादाता द्वारा सम्पादित कराये गये कार्य का विवरण के समय निर्धारित प्रपत्र में भुगतान हेतु बिल इकाई अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण करवाकर कार्यालय में कार्य पूरा होने अथवा प्रत्येक माह की समाप्ति पर माह की तीस तारीख तक प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों को समस्त प्रकार के भुगतान नियमानुसार करने का पूर्ण दायित्व सफल निविदादाता का होगा। सफल निविदादाता द्वारा प्रस्तुत बिल में से नियमानुसार कटौती की जावेगी।
- 33— सफल निविदादाता द्वारा स्वीकृत न्यूनतम देय मजदूरी का भुगतान किया जाना तथा उद्धरित पी. एफ. व ई.एस.आई. का भुगतान कर्मकार के खाते में जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा। कर्मकारों के खाते में जमा कराये गये ई.एस.आई., पी.एफ. के भुगतान मय कर्मकारों के नाम की सूची जमा करानी होगी। राशि जमा का साक्ष्य अगले माह के बिल के साथ प्रस्तुत करने होंगे।
- 34— श्रमिक अधिनियमों के तहत सफल निविदादाता द्वारा लगाये गये श्रमिकों को दी जाने वाली विविध सुविधा यथा ई.एस.आई., पी.एफ. श्रमिक को उपलब्ध करवाने का दायित्व सफल निविदादाता का होगा।
- 35— प्रत्येक कर्मकार के लिए उसके खाते में जमा करवाये गये पी.एफ. ई.एस.आई. की कर्मकार के नाम सहित विवरण प्रस्तुत करना होगा। इस संबंध में सफल निविदादाता द्वारा रखे जाने वाले मूल अभिलेख, रसीदें आदि (वित्त एवं लेखा शाखा)के पास प्रत्येक माह की 15 तारीख को प्रस्तुत की जावेगी।
- 36— अनुबन्ध के सम्बन्ध में सफल निविदादाता द्वारा प्रबन्ध के निर्देशानुसार न्यूनतम मजदूरी भुगतान अधिनियमों के अन्तर्गत मजदूरी भुगतान कर एवं नियमान्तर्गत निर्धारित समय में पी.एफ. एवं ई.एस. आई. सम्बन्धित कटौतियों का ब्यौरा निरीक्षण हेतु सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे।
- 37— सफल निविदादाता द्वारा निर्धारित योग्यता एवं कार्य में दक्ष कर्मकार ही उपलब्ध करवाये जावेगे। दक्ष कर्मकार उपलब्ध नहीं कराये जाने पर निगम द्वारा उनकी सेवाये नहीं ली जावेगी एवं ऐसी परिस्थिति में दक्ष कर्मकार उपलब्ध नहीं करवाये जाने की अवधि के लिए राशि रु0 100/— प्रत्येक दिवस प्रति कर्मकार की पैनैल्टी निगम द्वारा लगाई जा सकेगी।

निविदादाता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि

के हस्ताक्षर मय रबर सील के

- 38— उक्त प्रमाणित अभिलेखों को प्रस्तुत करने में असफल रहने पर सफल निविदादाता का भुगतान रोका जा सकेगा अथवा सफल निविदादाता पर पेनल्टी लगाई जा सकेगी। राज्य सरकार द्वारा समय-समय या निर्धारित नियमों के अन्तर्गत स्त्रोत पर सफल निविदादाता के भुगतान से आयकर इत्यादि की कटौती की जावेगी।
- 39—सफल निविदादाता के द्वारा नियुक्त श्रमिकों द्वारा निगम में आवंटित कार्य या भवन या प्लांट एण्ड मशीनरी का या अन्य प्रकार का कोई चोरी अथवा नुकसान किया जाता है तो उसका पुनर्भरण सफल निविदादाता से नुकसान के शास्ति सहित वसूली करने का निगम प्रशासन को अधिकार होगा। उक्त कृत्य में पाये गये दोषी श्रमिक का निगम परिसर में प्रवेश वर्जित करते हुये सम्बन्धित सफल निविदादाता को निगम में किसी भी कार्य व ठेके से सम्बन्धित सभी कार्यों के लिए अयोग्य/प्रतिबन्धित घोषित कर किया जा सकता है।
- 40— कार्य स्थल पर सफल निविदादाता अथवा उसके द्वारा सुपरवाइजर कार्य के दौरान उपस्थित होना चाहिए।
- 41— निविदादाता को किसी भी श्रमिक के अस्वस्थ होने या उनकी सेवायें प्रबन्ध की सन्तुष्टि के स्तर की नही होने पर प्रबन्ध के निर्देशानुसार श्रमिक को हटाकर दूसरा श्रमिक उपलब्ध करवाने का दायित्व सफल निविदादाता का होगा।
- 42—सफल निविदादाता को कोई भी शर्त जोड़ने अथवा हटाने या परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होगा। सफल निविदादाता द्वारा किसी भी शर्त के उल्लंघन करने पर शास्ति आरोपित करने अथवा बिना किसी नोटिस या कारण बताये ठेका समाप्त करने का अधिकार निगम के प्रशासन का होगा।
- 43—सफल निविदादाता द्वारा नियुक्त प्रत्येक कर्मकार का नाम/पिता का नाम/आयु/स्थायी पता/शैक्षणिक योग्यता/पी.एफ.व ई.एस.आई./कटौतियों सहित विस्तृत सूचना मय परिचय पत्र तैयार कर प्रबन्ध को उपलब्ध करवाना होगा तथा अनुबन्ध अवधि में सफल निविदादाता द्वारा अंशकालिक ठेके की पूर्ण अवधि के लिए नियुक्त किये जाने वाले समस्त कर्मचारियों के लिए सम्बन्धित सफल निविदादाता उत्तरदायी होगा।
- 44— कारखाना अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम आदि समस्त औद्योगिक अधिनियमों एवं उनके अन्तर्गत बने नियमों के तहत यदि कोई श्रमिक या श्रमिकों द्वारा कोई शिकायत/विवाद उठाया जाता है तो सम्बन्धित श्रमिक की समस्त जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी, निगम किसी भी प्रकार के दायित्व का वहन नहीं करेगा। समुचित उत्तर/पैरवी व उसके निपटारे का पूर्ण दायित्व नियोक्ता सफल निविदादाता का होगा। ठेका समाप्ति उपरान्त इण्डेमनिटी बाण्ड भी इस आशय का प्रस्तुत करना होगा। साथ ही सफल निविदादाता द्वारा सभी सम्बन्धित अनुभागों से ठेके की अवधि का बकाया नहीं प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

निविदादाता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि

के हस्ताक्षर मय रबर सील के

- 45—प्रबन्ध निर्देशानुसार कार्य सम्पादित करवाने हेतु सफल निविदादाता को स्वयं या अपने द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि/पर्यवेक्षक के माध्यम से सम्बन्धित अनुभाग अधिकारी से अनिवार्य रूप से प्रतिदिन प्रति पारी सम्पर्क स्थापित करना होगा एवं आपात स्थिति में सम्पर्क स्थापित करने हेतु सफल निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की उपलब्धता के सम्बन्ध में भी प्रबन्ध को अवगत कराना होगा।
- 46— श्रमिक सफल निविदादाता कोन्ट्रैक्ट लेबर (रेज्यूलेशन एण्ड अबोलिशन)एक्ट 1970 के प्रावधानों के अनुसार सभी शर्तों व नियमों का पालन करेगा व ऐसा नहीं पाये जाने की शिकायत के लिए वह सीधा जिम्मेदार होगा। पंजीकृत प्रमाण पत्र को समय पर नवीनीकरण कराने व पंजीकृत निर्धारित संख्या सीमा तक ही श्रमिक उपलब्ध का सकेगा। इससे सम्बन्धित समस्त औपचारिकतायें पूर्ण हो जाने के उपरान्त ही सफल निविदादाता अपने बिलों का भुगतान निगम से प्राप्त कर सकेगा।
- 47—किसी भी विवाद की स्थिति में प्रबन्ध निदेशक राजसिको, पंच निर्णयाक होंगे।
- 48—सम्बन्धित निविदादाता से अनुबन्ध अवधि में जो भी सूचना या दस्तावेज इस निगम द्वारा मांगे जावेंगे। वह समय पर उपलब्ध करवाने होंगे। यदि अनुबन्धकर्ता के द्वारा दस्तावेज/सूचना नहीं दी जाती है तो अनुबन्ध की शर्तों की अवहेलना माना जावेगा तथा प्रबन्धन इस अनियमिता के लिए अनुबन्धकर्ता पर शास्ती आरोपित कर सकेगा। अनुबन्ध अवधि के पश्चात भी यदि कोई सूचना की आवश्यकता प्रबन्धन को होती है तो मांगी गई सूचना उपलब्ध करवाने का दायित्व अनुबन्धकर्ता का होगा।
- 49—कर्मचारों का सर्वग निविदा प्रपत्र में दर्शायी गई तालिका के अनुसार होगी।
- 50—सफल निविदादाता द्वारा ठेका कर्मकारों को लगाने से पूर्व 100/-रु० के स्टाम्प पेपर पर अण्डरटेकिंग लेकर एक प्रति निगम में जमा करवाने होंगे।
- 51—यदि किसी ग्रेड में ई.एस.आई.की सीमा समाप्त हो जाती है अथवा अधिनस्थ उपकेन्द्रों पर यदि ई. एस.आई.की कटौती नहीं होती है तो मेडिकल फेसेलीटी समाप्त होने की स्थिति में नियोक्ता एवं कर्मचारी की ई.एस.आई. के पेटे दर्शायी गई राशि कर्मचारी को देय होगी।
- 52—ई.एस.आई., पी.एफ.के दरों में सरकार द्वारा यदि कोई परिवर्तन होता है तो भुगतान स्टक्चर में आवश्यक परिवर्तन किया जायेगा।
- 53—पी.एफ., ई.एस.आई.की राशि जो सफल निविदादाता द्वारा कर्मकार को दी जावेगी। उतनी राशि ही सफल निविदादाता द्वारा देय होगी।
- 54—कर्मकार की नियुक्ति मानदेय विभिन्न अधिनियमों के तहत न्यायालय में यदि कोई विवाद होता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी,हर्जा खर्चा ठेकेदार का होगा।
- 55—कर्मकारों के मूल दस्तावेज का प्रमाणीकरण अनुभागाधिकारी द्वारा किया जावेगा व ठेकेदार प्रत्येक कर्मकार की निजी पत्रावली (Personal File) संधारित करेगा।

निविदादाता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि

के हस्ताक्षर मय रबर सील के

- 56—कर्मकारों की दैनिक हाजरी हेतु आवश्यकता होने पर निगम के निर्देशानुसार निगम द्वारा उपलब्ध करायी गई बायो मेट्रिक सिस्टम की मशीनों से कराने की व्यवस्था सफल निविदादाता को करनी होगी। जिसका स्थान निगम द्वारा निर्धारित व उपलब्ध कराया जावेगा।
- 57— अनुबन्ध रू0 500 /—के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर सम्पादित किया जायेगा तथा इस अनुबन्ध की अवधि 12 महिनों कीसे.....तक होगी जो दोनों पक्षों की सहमति से नियमानुसार आगे भी बढ़ाई जा सकेगी।
- 58— यदि राजस्थान सरकार द्वारा अनुबंध अवधि के दौरान उपरोक्त पारिश्रमिक दरों में संशोधन किया जाता है तो निगम द्वारा संशोधित दरें प्रभावित तिथि से देय होगी।
- 59— वित्तीय निविदा में दर्शाया पारिश्रमिक एक महिने का है तथा यदि संविदा कर्मी पूर्ण माह के स्थान पर कुछ दिवस ही कार्य करता है या अधिक दिवस कार्य करता है तो दैनिक (एक दिवस) पारिश्रमिक की गणना संबंधित राज्य सरकार के लागू श्रम विभाग की नवीनतम अधिसूचना के नियमानुसार मासिक पारिश्रमिक को 26 से भाग देकर होगी। डे ऑफ पर कार्मिक की सेवाएँ देने से पूर्व सक्षम अधिकारी का कार्यदेश संलग्न करने पर भुगतान किया जावेगा।
- 60— कार्मिकों की साप्ताहिक अवकाश देय होगा और यदि इनसे साप्ताहिक अवकाश के दिन कार्य लिया जाता है और वे यदि स्वैच्छा से कार्य करते हैं तो उन्हें नियमानुसार अतिरिक्त पारिश्रमिक देय होगा।
- 61— कार्मिकों की कार्यावधि 8 घण्टे की होगी, इसके उपरान्त यदि कार्य लिया जाता है तो संबंधित राज्य सरकार के नियमानुसार ओवर टाइम भत्ता देय होगा।
- 62— खुली—निविदा प्रपत्र के BOQ में दर्शाई गई किसी भी श्रेणी की सेवाएँ आवश्यकतानुसार लेने अथवा नहीं लेने के पूर्ण अधिकार निगम के होंगे। इस संदर्भ में निगम द्वारा किया गया निर्णय अंतिम होगा। यदि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में निगम को कभी BOQ में दर्शाई गई किसी भी श्रेणियों के अतिरिक्त श्रेणी के कार्मिकों की आवश्यकता पड़ती है तो इसकी दरें निगम एवं सफल निविदादाता द्वारा पारस्परिक सहमति से की जा सकेगी।
- 63— खुली —निविदा प्रपत्र के BOQ में दर्शाई गई श्रेणियों में से क्रमांक संख्या 01 से 09 में उल्लेखित संविदा कार्मिकों का मैनपावर एजेन्सी से नियोजन से पूर्व निगम कमेटी द्वारा इनका साक्षात्कार किया जावेगा।
- 64— मैनपावर एजन्सी किसी भी संविदा कार्मिक को नियोजित करने से पूर्व खुली —निविदा प्रपत्र के BOQ में दर्शाई गई श्रेणियों में उल्लेखित योग्यताओं के दस्तावेज प्रस्तुत कर उसका अनुमोदन करवायेगी, इसके अभाव में दी गई सेवाएँ मान्य नहीं होगी।
- 65— अन्यशर्तें/नियम राज. उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, राजस्थान उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा निगम के अनुसार लागू होंगे।
- 66— निविदादाता के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं सील पर ही निविदा स्वीकार होगी।

उपरोक्त समस्त शर्तें पढ़ सुन ली हैं एवं मुझे मान्य है।

निविदादाता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि
के हस्ताक्षर मय रबर सील के

Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behaviour to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any Information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest. A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

A bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in an bidding process if, including but not limited to;

- (a) have controlling partners/shareholders in common; or
- (b) receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- (c) have the same legal representative for purposes of the Bid; or
- (d) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
- (e) the bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- (f) the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- (g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Signature of Tenderer _____

Declaration by The Bidder regarding Qualification

Declaration by the
Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for
procurement of

..... in response to their Notice Inviting Bid
No. Dated.....

I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement
Act, 2012, that:

1. I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial
resources and
competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the
Union and the State
Government or any local authority as specified in the bidding document;
3. I/We are not insolvent in receivership, bankrupt or being wound up, not have
my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our
business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of
the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any
criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false
statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a
procurement contract within a period of three years preceding the
commencement of this procurement process, or not have been otherwise
disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and Bidding
Document, which materially affects fair competition;

Date:

Signature of Bidder

Place:

Name:

Designation:

Address:

Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the Appellate Authority

First appellate authority is Managing Director,
R.S.I.C. Second appellate authority is Board of
R.S.I.C.

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved: Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose of it within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under para(1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para(2), or if the Bidder or prospective bidder of the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the first Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may file a second appeal to second appellate authority specified in the bidder document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first appellate authority as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) Determination of need of procurement;
- (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) Cancellation of a procurement process;
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality

(5) Form of Appeal

- (a) An appeal under para(1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any. Affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to first appellate authority or second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

Fee for Filing Appeal

- (a) Fee for filing appeal shall be rupees two thousand five hundred, and for second appeal shall be rupees ten thousand which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft of banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The first Appellate Authority or second appellate authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the first Appellate Authority, as the case may be, shall,-
 - (i) Hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause(c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Signature of Tenderer _____

Form No. – 1 Memorandum of Appeal (See sub-rule 1 of rule 83)
Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public

Procurement Act,
2012

Appeal No of

.....
Before..... (First
Appellate Authority)

1 Particulars of appellant:

(i) Name and father's name of the appellant

:.....

(ii) Official address:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s)

(i)

.....

.....

.....

(ii).....

.....

.....

(iii).....

.....

.....

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order, or a statement of a decision, action or omission of the procuring entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved

.....

4. If the Appellant proposes to be represented by :.....
are representative the name and postal address..... of
the representative.

.....

.....

.....

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:-

.....

.....

.....

.....
.....(Supported by an affidavit)

7. Prayer

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Place

.....

Date

.....

Signature of Tenderer_____

Additional Conditions of Contract1. Correction of arithmetical errors.-

Provided that Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis, namely: -

- (a) if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit prices shall be corrected;
- (b) if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- (c) if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (a) and (b) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to vary Quantities.-

- (a) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or service originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (b) If the procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (c) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the suppliers fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one bidder at the time of award.-

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, then in such cases, the quantity may be divided between the Bidders, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature of Tenderer _____

PROFORMA FOR FINANCIAL BID(TO BE QUOTED IN BOQ (.XLS FORMAT))

S.No.	Category of worker	Qualification and Experience Required	Monthly wages (Rs.)	Monthly PF (Rs.)	Monthly ESI (Rs.)	Monthly GST (Rs.)	Monthly Service charges/ Adm. Charges (Rs.)	Monthly Total Payable Amt
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Office Supervisor	With five years of experience						
2	Office Assistant	Graduate with computer operating & typing knowledge (english & hindi) two year experience						
3	Sale Assistant	Graduate with three years of experience						
4	Security Guard/Chowkidar	two year experience						
5	Gunmen	two year						
6	Peon(Class IV)	two year						
7	Packer	two year						
8	Sweeper	With Two year of experience						
9	Data/Tally Accountng Entry Operator with Machine (Machine will be provided with reference to Finance Dept Govt. of Rajasthan circular	BCA/Diploma in Computer Sciences/O Level with two year experience						
		Total						